न्यायालय सहायक कलक्टर ओसियां

पीठासीन अधिकारीः– **राजीव शर्मा** आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः– 208/2013 नया प्र.स. 31A/23

वादीः–

1 चन्द्रशेखर पुत्र पारसमल जाति ओसवाल निवासी पारसमल, खैरादियों का बास, हनवन्तपुरा, जोधपुर।

प्रतिवादीगणः–

1 नेमीचंद पुत्र श्री पारसमल जाति ओसवाल निवासी ओलम्पिक टॉवर सांधी पेट्रोल पंप के सामने जोधपुर।

2 धीरेन्द्र पुत्र स्व. मोहनलाल जाति ओसवाल निवासी ए शास्त्रीनगर जोधपुर।

3 गौतमचन्द पुत्र पारसमल जाति ओसवाल निवासी पारसमल,

खैरादियों का बास, हनवन्तपुरा, जोधपुर।

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी।

निर्णय

दिनांक 18-4-2

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र वैष्णव एवं प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक परिहार उपस्थित। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता ने राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि द्वारा संयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि खेत खेत खसरा नं. 566, रकबा 0.0567 हेक्टेयर, (0.7 बिस्वा), खसरा संख्या 567 रकबा 0.8660 हैक्टेयर, (5 बीघा 07 बिस्वा), खसरा संख्या 567/620 रकबा 0.5666 हैक्टेयर (3 बीघा 10 बिस्वा), खसरा सं. 568/3 रकबा 7.5514 हैक्टेयर (रकबा 36 बीघा 13 बिस्वा) एवं खसरा संख्या 568/4 रकबा 0.0486 हेक्टेयर (0.6 बिस्वा) कुलपांच खसरान् की कुलरकबा 9.0893

हैक्टेयर (46 बीघा 03 बिस्वा) ग्राम रामपुराभाटीयान, पटवार क्षेत्र रामपुरा भाटियान, आरआई क्षेत्र भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मथानिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के विभाजन हेतु उपरोक्त अनवान का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था।दौराने विचारण पक्षकारान की ओर से दिनांक 15.12.2014 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया था और पक्षकारान द्वारा आपसी पारिवारिक समझौते के तहत् उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा भूमि में से 1/5 हिस्सा वादी चन्द्रशेखर के हिस्से में, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी नेमीचंद के हिस्से में, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी धीरेन्द्र के हिस्से में, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी गौतमचंद के हिस्से में एवं 1/5 हिस्सा प्रतिवादी पारसमल के हिस्से में रखना तय किया था।न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.2014 को पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार करते हुए पक्षकारान् के हिस्से के सम्बन्ध में प्राथमिक डिक्री पारित की गयी थी।

न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.2014 को पारित प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध धीरेन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष अपील/डिक्री/जोधपुर /029/2015 बअनवान धीरेन्द्र बनाम चन्द्रशेखर प्रस्तुत की गई, जिसका निर्णय दिनांक 16.11.2015 को पारित किया जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील को खारिज करते हुए उपखण्ड अधिकारी औसिया द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा गया, जिसके विरूद्ध धीरेन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल द्वारा राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के समक्ष जोधपुर/ अपील टीए डिकी संख्या 7374/2015 प्रस्तुत की गई तत्पश्चात आपसी पारिवारिक राजीनामा होने पर उक्त अपील को धीरेन्द्र द्वारा दिनांक 23.1.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विड्रोल हेतु निवेदन किये जाने पर न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान , अजमेर द्वारा दिनांक 30.1.2023 को निस्तारित किया गया।

वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से मौजूदा राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी एवं प्रतिंवादीगण के बीच आपसी समझाइस एव लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। और पक्षकारान के बीच अब किसी भी प्रकार का कोई विवाद शेष नही है। पक्षकारान न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिकी दिनांक 22.10.2014 के अनुसार अपना-अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहते हैं और मौजूदा प्रकरण का माफिक राजीनामा निस्तारण करवाना चाहते है।

पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनांमा प्रार्थना पत्र में यह भी जाहिर किया गया कि पारसमल पुत्र तेजमल द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि में आये अपने हिस्से की भूमि के संबंध में निष्पादित पंजीबद्व वसियत नामा दिनांक 26.8.2020 जो कि उप पंजियक

Scanned with OKEN Scanner

चतुर्थ , जोधपुर के समक्ष पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 10 पृष्ठ संख्या 89 कम संख्या 202003054300180 के जरिये अपने पुत्र गौतमचंद पुत्र पारसमल को वसियत कर दी गई है। उसके उपरांत स्व. पारसमल का दिनांक 14.12.2020 को देहांत के पश्चात उनके द्वारा निष्पादित वसीयतनामा से स्व. पारसमल की उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि में आये हिस्से का मालिकाना हक अधिकार गौतमचंद पुत्र पारसमल हो गया है। जिसके अनुसार वाद ग्रस्म सम्पति वाके ग्राम रामपुरा भाटीयान, पटवार क्षेत्र रामपुरा भाटियान, आरआई क्षेत्र भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मथानिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में गौतमचन्द पुत्र स्व. श्री पारसमल का उपरोक्त वर्णित खसरा की भूमिमें 2/5 हिस्सा अर्थात 18 बीघा 09 बिस्वा और 04 बिस्वांशी भूमि अर्थात 3.63572 हैक्टेयर भूमि, नेमीचंद का 1/5 हिस्सा अर्थात 09 बीघा 04 बिस्वा 12 बिस्वांसी अर्थात 1.81786 हैक्टेयरभूमि, चन्द्रशेखर का 1/5 हिस्सा अर्थात 09 बीघा 04 बिस्वा 12 बिस्वांसी अर्थात 1.81786 हैक्टेयर भूमि एवं धीरेन्द्र का 1/5 हिस्सा अर्थात 09 बीघा 04 बिस्वा 12 बिस्वांसी अर्थात 1.81786 हैक्टेयर भूमि बनता हैं। मौजुदा प्रकरण में पक्षकारान के बीच राजीनामा के पश्चात अब किसी भी प्रकार का कोई विवाद शेष नही होने एवं पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रार्थना प्रस्तुत कर आपसी सहमति से मौके पर वादग्रस्त संपति का अपने हिस्से माफिक बंटवारा करने एवं तरमीम करने का कथन किया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त संपति का नामांतरण पक्षकारान के हिस्से माफिक दर्ज करने हेतु तहसीलदार तिंवरी को निर्देश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के माफिक मौजुदा प्रकरण का निस्तारण किया जाकर तहसीलदार तिंवरी को निर्देशित किया जाता हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्रम रामपुरा भाटीयान पटवार हल्का रामपुरा भाटियान तहसील तिंवरी के खसरान की भूमि में 2/5 हिस्सा अर्थात 18 बीघा 09 बिस्वा और 04 बिस्वाशी भूमि गौतमचंद, 1/5 हिस्सा अर्थात 09 बीघा 04 बिस्वा 12 बिस्वाशी भूमि नेमिचंद, 1/5 हिस्सा अर्थात 09 बीघा 04 बिस्वा 12 बिस्वाशी भूमि चन्द्रशेखर एवं 1/5 हिस्सा अर्थात 09 बीघा 04 बिस्वा 12 बिस्वाशी भूमि धीरेन्द्र के नाम राजस्व रेकर्ड में नामांतरण दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें निर्णय आज दिनांक 18-4-2023.........को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर ओसियां

Scanned with OKEN Scanner